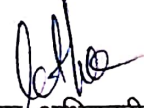
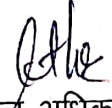


आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख-सहीत
1	2	3
	<u>आदेश</u> अभिलेख आदेशार्थ उपस्थापित किया गया। झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक- 2074/रा0, दिनांक-19.05.2016 सहपठित श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-03-खा0म0 निति-119/85/2308/रा0, दिनांक-03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा0, दिनांक-09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारंभ की गयी। जाँच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ0नि0 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी कि भूमि:- मौजा-द्वारी थाना-गिद्धौर खाता सं0-186/281 प्लॉट सं0-... रकबा-0.46 एकड़ की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जामबंदी उस मौजा के पंजी-II के जिल्द संख्या-2 के पृष्ठ सं0-92 पर जमाबंदी रैयत-पोखन अहीर पिता-रूदी अहीर के नाम से कायम है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरांत उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। जिसके आलोक में जमाबंदी रैयत को नोटिस देकर संबंधित भूमि का कागजात प्रस्तुत करने को कहा गया नोटिस के आलोक में जमाबंदी के रैयत-दुलारी गोप के द्वारा, दिनांक-29.08.2023 को उपस्थित होकर कागजात प्रस्तुत किया जिसमें सरकारी रसीद एवं फर्द रिपोर्ट अमीन का छाया प्रस्तुत किया जो अभिलेख में संलग्न है तथा अभिलेख का अभिन्न अंग है। राजस्व कर्मचारी द्वारा चेक सिलिप प्रस्तुत किया गया है जिसमें प्राधिकार कॉलम में जमाबंदी खोलने का आधार एवं पंजी-II में छेड़-छाड़ का प्रतिवेदन दिया गया है। अभिलेख में संलग्न कागजात जिसमें फर्द रिपोर्ट अमीन प्रस्तुत किया गया है।	

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है। अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उपसमाहर्त सिमरिया को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित


अंचल/अधिकारी
गिद्धौर 5.9.23


अंचल अधिकारी
गिद्धौर 5.9.23